[2024] 11 एस.सी.आर. 799 : 2024 आईएनएससी 874

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य
बनाम
नवीन कुमार सिन्हा
(सिविल अपील संख्या 1279 / 2024)
19 नवंबर 2024
[अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां, *न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

यह मुद्दा उठा कि क्या बैंक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता था।

हेडनोट्स

सेवा कानून - सेवा से बर्खास्तगी - सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत- अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि शून्य-आरंभ से - बैंक में कार्यरत कर्मचारी, 30 वर्ष पूरे होने पर 26.12.2003 को सेवानिवृत्त होने वाला था, हालाँकि, उसे 01.10.2010 तक विस्तार दिया गया था - अगस्त 2009 में कर्मचारी को बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करके अपने रिश्तेदारों के पक्ष में ऋण स्वीकृत करने और दस्तावेजों के गुम होने पर अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया - 2011 में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, और उसके बाद 2012 में उस पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया - अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा भी बरकरार रखा गया - इसके खिलाफ रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए अनुमति दी गई कि बैंक को 01.10.2010 के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार, दंड का आदेश, साथ ही अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी का आदेश भी रद्द और रद्द कर दिया गया, और बैंक को कर्मचारी को परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया - उक्त आदेश को डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा - सत्यता:

निर्णय: दोषी कर्मचारी या अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है - विभागीय कार्यवाही आमतौर पर तभी शुरू मानी जाती है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है - कर्मचारी को 01.10.2010 को उसकी सेवा का विस्तार समाप्त होने के बाद 2011 में आरोप ज्ञापन जारी किया गया था - कर्मचारी 26.12.2003 को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन उसकी सेवा का विस्तार किया गया, और कर्मचारी की विस्तारित सेवा 01.10.2010 को समाप्त हो गई - बैंक और कर्मचारी के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता

01.10.2010 से समाप्त हो गया - उसके बाद निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का तथ्य या कर्मचारी द्वारा यह घोषणा करना कि वह बाद की तारीख यानी 30.10.2012 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कानूनी और तथ्यात्मक परिदृश्य में कोई अंतर नहीं है - इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी 01.10.2010 के बाद बैंक की सेवा में नहीं था - कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही 18.08.2009 को शुरू नहीं की गई थी जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन केवल 18.03.2011 को शुरू की गई थी जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कर्मचारी को आरोप ज्ञापन जारी किया था - दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई मौजूदा अनुशासनात्मक कार्यवाही को कानूनी कल्पना बनाकर सेवानिवृत्ति के बाद जारी रखा जा सकता है अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से दोषी अधिकारी की सेवा जारी रखना - अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले शुरू की गई थी, तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से, कर्मचारी को सेवा में जारी रखा गया माना जाता है लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। [पैरा 23, 24, 26, 28, 30-33]

उद्धृत केस लॉ

एसबीआई बनाम सी.बी. ढल [1997] अनुपूरक 6 एससीआर 416 : (1998) 2 एससीसी 544; यूको बैंक बनाम राजिंदर लाल कपूर [2007] 7 एससीआर 543 : (2007) 6 एससीसी 694; यूको बैंक बनाम एम.बी. मोटवानी [2023] 16 एससीआर 525 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1327; भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरमन [1991] 3 एससीआर 790 : (1991) 4 एससीसी 109; कोल इंडिया लिमिटेड बनाम सरोज कुमार मिश्रा [2007] 5 एससीआर 233 : (2007) 9 एससीसी 625; केनरा बैंक बनाम डी.आर.पी. सुंदरम (2016) 12 एससीसी 724 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955; भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों का निर्धारण) आदेश, 1979; भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992; भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम, 1975।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा से बर्खास्तगी; सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत; अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि आरंभ से ही शून्य हो; निलंबन; अनुशासनात्मक कार्यवाही; दंड; आरोप पत्र; अधिकार क्षेत्र; स्वामी और सेवक का संबंध; निर्वाह भत्ता; सेवा जारी रखना; सेवा अवधि का विस्तार।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1279/2024 [झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 12/11.02.2020 के निर्णय और आदेश से, एल० पि० ए० संख्या 505/2016 में]

पक्षों की उपस्थिति

बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, सुश्री दिव्या सिंह पुंडीर, सुश्री महिमा कपूर, देवेश दुबे,

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता

विश्वजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश कुमार सिंह, विग्नेश सिंह, रजनीश कुमार सिंह, राजन कुमार सिंह, राजीव रंजन, रिधिमा सिंह, पंकज सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश
निर्णय

उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति
पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय रांची (जिसे संक्षेप में 'उच्च न्यायालय' कहा जाएगा) की खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित दिनांक 11.02.2020 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक और उसके अधिकारी हैं।

2.1. प्रतिवादी, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अधिकारी, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई जिसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा दायर विभागीय अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दिया; साथ ही समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखे गए दंड के आदेश को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दंड के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी, जिसमें सेवा की विस्तारित अवधि भी शामिल थी। इसलिए, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही को शुरू से ही शून्य माना गया और दंड के परिणामी आदेश को अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति और अन्य देय राशि का भुगतान करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया।

2.2. अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था। लेटर्स पेटेंट अपील की इस तरह खारिज होने के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11413/2020 दायर की गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 16.10.2020 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया था। एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया गया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई अवमानना कार्यवाही स्थगित की जाए। मामले की अंतिम सुनवाई 23.01.2024 को हुई, तब अनुमति प्रदान की गई।

3. आगे बढ़ने से पहले, प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगा ताकि सूची का उचित परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो सके।

4. प्रतिवादी को 08.06.1973 को भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था। उसे समय-समय पर पदोन्नति मिली। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, प्रतिवादी को भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों का निर्धारण) आदेश, 1979 के अनुसार 26.12.2003 को सेवानिवृत्त होना था।

4.1. तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.08.2003 द्वारा, प्रतिवादी को 27.12.2003 से 01.10.2010 तक सेवा विस्तार दिया गया था।

5. 18.08.2009 को, अपीलकर्ता एसबीआई ने प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया जिसमें उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया कि एसबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। नोटिस में उल्लिखित आरोप मुख्यतः प्रतिवादी द्वारा बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपने रिश्तेदारों के पक्ष में ऋण स्वीकृत करने और ऋण स्वीकृत करने से संबंधित दस्तावेज़ों के गुम होने से संबंधित थे।

6. 21.08.2009 को प्रतिवादी को निलंबित कर दिया गया।

7. प्रतिवादी ने दिनांक 18.08.2009 के नोटिस पर दिनांक 27.10.2009 को उत्तर प्रस्तुत किया। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रतिवादी के ऐसे उत्तर को स्वीकार नहीं किया।

7.1. इसके बाद 18.03.2011 को अपीलकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 (जिसे आगे संक्षेप में 'सेवा नियम' कहा जाएगा) के नियम 68(1) के अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया। उप महाप्रबंधक (संचालन और क्रेडिट), एनडब्ल्यू-II, झारखंड ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए 18.03.2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोपों के विवरण द्वारा समर्थित आरोपों के लेख और उन दस्तावेजों की सूची संलग्न थी, जिनके आधार पर आरोप तय किए गए थे। आरोप वही थे जो 18.08.2009 को जारी पिछले नोटिस में लगाए गए थे। प्रतिवादी को निर्धारित अवधि के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह उल्लेखनीय है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ जांच करने के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त किया था। 29.11.2011 को, प्रतिवादी ने अपना बचाव प्रस्तुत किया जिसमें कुल 20 आरोपों का खंडन किया गया।

7.2. जाँच कार्यवाही 24.05.2011 को प्रारंभ हुई और 06.09.2011 को समाप्त हुई। तत्पश्चात, 08.12.2011 को जाँच अधिकारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। 20 आरोपों में से, जाँच अधिकारी ने पाया कि 16 सिद्ध हुए; 3 आंशिक रूप से सिद्ध हुए; और एक सिद्ध नहीं हुआ। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 17.12.2011 के अग्रेषण पत्र द्वारा जाँच रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिवादी को भेजी, जिसमें उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उस पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया।7.3.

प्रतिवादी ने 15.01.2012 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें जाँच रिपोर्ट में विभिन्न खामियों की ओर इशारा किया गया और उक्त प्राधिकारी से कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

7.4. हालाँकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 07.03.2012 को आदेश पारित कर प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया। प्रतिवादी ने दंड के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। हालाँकि, 26.10.2012 के आदेश द्वारा प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 16.01.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

7.3. प्रतिवादी ने 15.01.2012 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें जांच रिपोर्ट में विभिन्न त्रुटियों की ओर इशारा किया गया तथा उक्त प्राधिकारी से कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

7.4. हालाँकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 07.03.2012 को प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाते हुए आदेश पारित किया। प्रतिवादी ने दंड के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। हालाँकि, दिनांक 26.10.2012 के आदेश द्वारा प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद प्रतिवादी ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

8. इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 07.03.2012 के दंड आदेश को चुनौती दी गई, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 26.10.2012 के आदेश और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2014 के आदेश द्वारा की थी। रिट याचिका रिट संख्या 3446/2014 के रूप में पंजीकृत की गई थी। दिनांक 06.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने माना कि प्रतिवादी की सेवा वर्ष 2003 में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद 01.10.2010 तक बढ़ा दी गई थी। 01.10.2010 के बाद सेवा में कोई और विस्तार नहीं किया गया। विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही 18.03.2011 को शुरू हुई थी जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को आरोप-पत्र जारी किया गया था, जो कि 01.10.2010 के बाद का माना जाता है। इसलिए, अपीलकर्ता बैंक, अर्थात् एसबीआई, को 01.10.2010 के बाद विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में, दिनांक 07.03.2012 का दंड आदेश, दिनांक 26.10.2012 का अपीलीय प्राधिकारी का आदेश और दिनांक 16.01.2014 का पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश रद्द कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

9. एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 06.09.2016 के उपरोक्त निर्णय एवं आदेश को अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एलपीए संख्या 505/2016 में चुनौती दी थी।

9.1. दिनांक 11.02.2020 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से, खंडपीठ ने एकल पीठ के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और माना कि प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही शुरू और जारी नहीं रखी जा सकती थी। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं की लेटर्स पेटेंट अपील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।

10. अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उपरोक्त निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी और अनुमति मिलने पर, वर्तमान सिविल अपील पंजीकृत हुई।

11. प्रतिवादी ने प्रति-शपथपत्र दायर किया है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ के निर्णयों का बचाव करते हुए, प्रतिवादी ने कहा है कि वह 08.06.1973 को अपीलकर्ता बैंक में सेवा में शामिल हुआ था। सेवा नियमों के नियम 19(1) के अनुसार, अपीलकर्ता बैंक ने 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रतिवादी की सेवा 27.12.2003 से 01.10.2010 तक बढ़ा दी थी। 01.10.2010 के बाद, अपीलकर्ता बैंक द्वारा प्रतिवादी की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कोई मौखिक या लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। इसलिए, एसबीआई और प्रतिवादी के बीच स्वामी-सेवक का रिश्ता 01.10.2010 को समाप्त हो गया।

11.1. सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अर्थात 18.08.2009 को अपीलकर्ता बैंक ने प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया था जिसमें प्रतिवादी द्वारा 19.01.2006 से 29.10.2008 तक और 23.01.2009 से 22.08.2009 तक की अवधि के लिए अग्रिम और डिमांड ड्राफ्ट खरीद की मंजूरी और अनुवर्ती कार्रवाई में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।

11.2. इसके बाद 21.08.2009 को प्रतिवादी को निलंबित कर दिया गया।

11.3. प्रतिवादी ने अपीलकर्ता बैंक के साथ कई दौर की बातचीत की ताकि उसे उन दस्तावेज़ों तक पहुँच मिल सके जिनका इस्तेमाल उसने प्रतिवादी के ख़िलाफ़ आरोप लगाते समय किया था। दस्तावेज़ों की भारी मात्रा को देखते हुए, प्रतिवादी ने अपना स्पष्टीकरण देने के लिए समय माँगा था, जिसे अपीलकर्ता बैंक ने अस्वीकार कर दिया था।

11.4. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 18.03.2011 को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से प्रतिवादी को सूचित किया कि उसके विरुद्ध निर्धारित आरोपों के आधार पर विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही शुरू की जा रही है। प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि 18.03.2011 को अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत प्रतिवादी की विस्तारित सेवा अवधि 01.10.2010 को समाप्त होने के बाद की गई थी। बहरहाल, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया था जिसने आरोपों की जाँच की और उसके बाद 17.12.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

11.5. जांच रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 18.03.2011 के दंड आदेश के तहत प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया।

11.6. प्रतिवादी का तर्क है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवा की विस्तारित अवधि अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी। इसलिए, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही और परिणामी दंड आदेश, अपीलीय आदेश और पुनरीक्षण आदेश, कानून की दृष्टि में अमान्य हैं और आरंभ से ही शून्य हैं।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने सेवाकाल के दौरान गंभीर अनियमितताएँ कीं। इस संबंध में 18.08.2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद, एक विस्तृत विभागीय जाँच की गई जिसमें प्रतिवादी ने पूर्ण रूप से भाग लिया। जाँच अधिकारी ने 17.12.2011 की अपनी रिपोर्ट में माना कि 20 आरोपों में से 16 सिद्ध हुए और 3 आंशिक रूप से सिद्ध हुए। उन्होंने प्रतिवादी के विरुद्ध सिद्ध हुए आरोपों का विस्तृत विवरण दिया और उनका सारांश इस प्रकार दिया:

क. पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपने परिवार के सदस्यों को ऋण स्वीकृत किया।

ख. झूठे स्थानीय पते वाले झूठे प्रमाण पत्रों पर ऋण स्वीकृत किया।

ग. अपने बेटे को स्वीकृत ऋण में मार्जिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ग्राहक के खाते से अनाधिकृत रूप से डेबिट किया।

घ. दस्तावेज़ीकरण की औपचारिकताएँ पूरी किए बिना विभिन्न ऋण वितरित किए।

ङ. बिना अनुमोदन के अपने बेटे और बेटी के साथ सह-उधारकर्ता के रूप में शैक्षिक ऋण लिया।

च. बिना दस्तावेज़ प्राप्त किए विभिन्न खातों में ऋण वितरित किया।

छ. योजना के तहत छूट राशि जमा करने की तिथि के बाद 49 केसीसी खातों में बड़ी राशि डेबिट की अनुमति दी।

ज. उसने अपनी पत्नी और बेटी के 9 चेक प्रस्तुत किए, जो बाद में अनादरित हो गए।

झ. बैंक के ग्राहकों से 9 मौकों पर पावती के तहत नकद लिया, लेकिन उनके खाते में पैसा जमा नहीं किया।

12.1. उन्होंने आगे दलील दी कि प्रतिवादी की आयु 30.10.2012 को 60 वर्ष हो जानी चाहिए थी। वास्तव में, विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी का यही रुख रहा है। दंड आदेश 07.03.2012 को जारी किया गया था, जबकि प्रतिवादी की आयु 30.10.2012 को 60 वर्ष की हो चुकी थी।

12.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी ने न तो अपील में, न ही पुनर्विचार में, और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह दावा किया था कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी, इसलिए यह आरंभ से ही शून्य थी। उसने दंड के आदेश को गुण-दोष सहित कई अन्य आधारों पर चुनौती दी थी। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की इस अप्रतिवादित आधार पर चुनौती स्वीकार करना उचित नहीं था कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी। इस पहलू को भी खंडपीठ ने नज़रअंदाज़ कर दिया।

12.3. विभागीय जाँच और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए इस तर्क का हवाला देते हुए कि उनकी सेवानिवृत्ति 30.10.2012 को होनी थी, श्री सिंह ने दलील दी है कि यह बात उन पर बाध्यकारी है। वास्तव में, अपीलकर्ता बैंक ने प्रतिवादी को 01.10.2010 के बाद भी सेवा से बर्खास्तगी की तिथि तक निर्वाह भत्ता दिया था, जिसे प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए, अब प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि अपीलकर्ता बैंक में उनकी सेवा 01.10.2010 को समाप्त हो गई थी।

12.4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सेवा नियमों के नियम 19, विशेष रूप से उसके उप-नियम (2) का भी उल्लेख किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता बैंक की सेवा से किसी अधिकारी की स्वतः सेवानिवृत्ति नहीं हो सकती। किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति सेवा नियमों के नियम 19(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए।

12.5. अंततः, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उसके सेवानिवृत्त होने से पहले ही शुरू कर दी गई थी। अतः, सेवा नियमों के नियम 19(3) के अनुसार, प्रतिवादी को ऐसी विभागीय कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अपीलकर्ता बैंक की सेवा में बने रहने वाला माना गया। इस संबंध में, उन्होंने एसबीआई बनाम सी.बी. ढल्ल मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है।

13. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह ने प्रतिवाद किया कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में कोई त्रुटि या कमी नहीं है।

13.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा बिल्कुल सरल है: क्या अपीलकर्ता बैंक प्रतिवादी के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता था।

13.2. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने वर्ष 2003 में अपीलकर्ता बैंक में 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। इसलिए, सेवा नियमों के नियम 19(1) के अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति 26.12.2003 को होनी थी। हालाँकि, अपीलकर्ता बैंक ने सेवा नियमों के नियम 19(1) के प्रावधान का हवाला दिया और लिखित में कारण दर्ज करके प्रतिवादी की सेवा 27.12.2003 से 01.10.2010 तक 30 वर्ष से अधिक बढ़ा दी। इसके बाद, अपीलकर्ता बैंक द्वारा सेवा में कोई और विस्तार नहीं दिया गया। इस प्रकार, प्रतिवादी की अपीलकर्ता बैंक में सेवा 01.10.2010 से समाप्त हो गई।

13.3. यद्यपि अपीलकर्ता बैंक ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रतिवादी को दिनांक 18.08.2009 को नोटिस जारी किया था और उसे 21.08.2009 को सेवा से निलंबित कर दिया था, फिर भी सेवा नियमों के नियम 68(1) के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 18.03.2011 को ही शुरू की गई जब चार्ज मेमो जारी किया गया, जो स्पष्ट रूप से 01.10.2010 के बाद का था। प्रतिवादी द्वारा विभागीय कार्यवाही में भाग लेने या यह कहने का तथ्य कि वह 30.10.2012 को सेवानिवृत्त होने वाला था, कोई महत्व नहीं रखता। इसके

अलावा, अपीलकर्ता बैंक द्वारा निर्वाह भत्ते का भुगतान और प्रतिवादी द्वारा उसे स्वीकार करने से भी प्रतिवादी को 01.10.2010 के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।

13.4. अतः प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता बैंक द्वारा प्रतिवादी पर लगाया गया दंडात्मक आदेश स्पष्ट रूप से प्रारम्भ से ही अमान्य है और उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करके उचित ही किया है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

(i) यूको बैंक बनाम राजिंदर लाल कपूर; और

(ii) यूको बैंक बनाम एम.बी. मोटवानी,

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर न्यायालय ने उचित विचार किया है।

15. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम प्रतिवादी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।

15.1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा के कुछ नियमों और शर्तों को निर्धारित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा के नियमों और शर्तों का निर्धारण) आदेश, 1979 (संक्षेप में 'सेवा आदेश') बनाया है। आदेश 19 सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित है। आदेश 19 के खंड (1) में कहा गया है कि एक अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 30 वर्ष की सेवा या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर एसबीआई की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा यदि वह पेंशन फंड का सदस्य है, जो भी पहले हो। इस प्रकार, सेवा आदेश के आदेश 19 के खंड (1) के अनुसार, एसबीआई का एक अधिकारी तीन आकस्मिकताओं के होने पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा तीन आकस्मिकताएँ हैं:

(i) 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर; या

(ii) 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर; या

(iii) 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर, यदि वह पेंशन निधि का सदस्य है।

15.2. इसलिए, इस प्रावधान के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक का कोई भी अधिकारी तीन आकस्मिकताओं में से किसी एक के पूरा होने पर, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त हो जाएगा। पहला प्रावधान सक्षम प्राधिकारी को किसी ऐसे अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाने का विवेकाधिकार देता है, जिसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, यदि यह समझा जाता है कि ऐसा विस्तार भारतीय स्टेट बैंक के हित में वांछनीय है। हालाँकि, सेवा की विस्तारित अवधि को पेंशन के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

15.3. आदेश 19 के खंड (2) के अनुसार, एसबीआई का कोई भी अधिकारी जो खंड (1) में प्रदान की गई किसी भी आकस्मिकता के कारण एसबीआई की सेवा में नहीं रह गया है, पेंशन और गारंटी निधि नियमों या पेंशन निधि नियमों के प्रयोजन के लिए उक्त बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जाएगा, जब तक कि सेवा की ऐसी समाप्ति पूर्वोक्त दो नियमों में से किसी के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत नहीं की गई हो।

15.4.आदेश 19 का खंड (3) स्पष्ट करता है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध एसबीआई की सेवा में बने रहने से पहले, सेवा के संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो प्रबंध निदेशक के विवेकानुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवा समाप्ति के बाद भी जारी रखी जा सकती है और उस प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है जिसने उसे शुरू किया था, मानो अधिकारी सेवा में बना रहे। हालाँकि, ऐसा अधिकारी केवल ऐसी कार्यवाही जारी रखने और समाप्त करने के उद्देश्य से ही सेवा में माना जाएगा।

15.5.आदेश 19 के तीनों खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि एसबीआई का कोई अधिकारी तीनों शर्तों में से किसी एक की पूर्ति पर उक्त बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाने का विवेकाधिकार है, यदि ऐसा विस्तार एसबीआई के हित में वांछनीय समझा जाता है, हालाँकि सेवा की विस्तारित अवधि पेंशन के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी। खंड (2) के अंतर्गत, कोई भी अधिकारी जो खंड (1) में निर्धारित आकस्मिकताओं के कारण एसबीआई की सेवा में नहीं रह गया है, पेंशन और गारंटी निधि नियमों या पेंशन निधि नियमों के प्रयोजन के लिए सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जाएगा, जब तक कि सेवा की ऐसी समाप्ति स्वीकृत न हो जाए। इसलिए, सेवा समाप्ति की स्वीकृति केवल पूर्वोक्त नियमों के प्रयोजन के लिए है। खंड (3) में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध एसबीआई की सेवा में रहने से पहले संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही उस प्राधिकारी द्वारा जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है जिसने उसे शुरू किया था, यहाँ तक कि अधिकारी की सेवा समाप्ति के बाद भी। हालाँकि, उसे केवल ऐसी कार्यवाही जारी रखने और समाप्त करने के उद्देश्य से ही सेवा में माना जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

16. अब आइए भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 (जिन्हें पहले ही 'सेवा नियम' कहा जाता है) पर विचार करें। सेवा नियमों की प्रस्तावना में कहा गया है कि उक्त नियम भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक में सभी अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों का निर्धारण करने हेतु तैयार किए गए हैं। ये सेवा नियम 01.01.1992 से प्रभावी हुए।

16.1 नियम 2(1) के अनुसार, सेवा नियम एसबीआई के उन सभी अधिकारियों पर लागू होंगे जो नियम 4 में उल्लिखित किसी भी ग्रेड में नियुक्त या पदोन्नत किए गए

हैं और जिन पर इसके अंतर्गत उल्लिखित कोई भी नियम लागू होता है। इन नियमों में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों का निर्धारण) आदेश, 1979 (जिसे पहले ही 'सेवा आदेश' कहा गया है) शामिल है। नियम 19 सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 19(1) के अनुसार, कोई अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 30 वर्ष की सेवा या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर, यदि वह पेंशन निधि का सदस्य है, जो भी पहले हो, एसबीआई की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। पहला प्रावधान कहता है कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ा सकता है, जिसने 30 वर्ष की सेवा या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा विस्तार बैंक के हित में वांछनीय समझा जाता है। हालाँकि, दूसरा प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अधिकारी को सेवा में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

16.2. सेवा आदेश के आदेश 19(1) का सेवा नियमों के नियम 19(1) के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि नियम 19(1) द्वारा किया गया एकमात्र परिवर्तन सेवानिवृत्ति की एक शर्त अर्थात आयु में है। 58 वर्ष से यह अब 60 वर्ष हो गई है। सेवानिवृत्ति की आकस्मिकताओं सहित शेष प्रावधान अपरिवर्तित रहे हैं। चाहे यह 58 वर्ष हो या 60 वर्ष, यह सेवानिवृत्ति की आकस्मिकताओं में से केवल एक है, एकमात्र नहीं। 58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, जैसा भी मामला हो, एक अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा यदि उसने 30 वर्ष की सेवा या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है। हालाँकि, दूसरे प्रावधान में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले अधिकारी को सेवा में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि अन्य दो आकस्मिकताओं में से कोई एक पूरी हो जाती है तो किसी अधिकारी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है; इसके बाद उसे सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है, लेकिन सेवा विस्तार 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो सकता।

16.3. दूसरी ओर, नियम 19(2) एक गैर-बाधा खंड से शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि सेवा नियमों में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कोई भी अधिकारी जो किसी प्रावधान के संचालन या उसके आधार पर बैंक की सेवा में नहीं रह गया है, उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन और गारंटी निधि नियमों या भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमों के प्रयोजनार्थ एसबीआई की सेवा से सेवानिवृत्त नहीं माना जाएगा, जब तक कि सेवा की ऐसी समाप्ति को उक्त पेंशन निधि नियमों में से किसी एक के प्रयोजनार्थ सेवानिवृत्ति के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया हो, जो उस पर लागू हो। इस प्रकार नियम 19(2) केवल उपरोक्त दो नियमों के प्रयोजनार्थ सेवा की समाप्ति की स्वीकृति प्रदान करता है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं।

16.4. नियम 19 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध सेवा के संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही एसबीआई

की सेवा में रहने से पहले, उक्त नियमों या सेवा नियमों के प्रावधानों के प्रभाव में या उसके आधार पर शुरू की गई है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, उस प्राधिकारी द्वारा जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है जिसके द्वारा सेवा समाप्ति के बाद उक्त नियमों में दिए गए तरीके से कार्यवाही शुरू की गई थी, मानो अधिकारी सेवा में बना हुआ है; लेकिन उसे केवल ऐसी कार्यवाही जारी रखने और समाप्त करने के उद्देश्य से ही सेवा में माना जाएगा।

17. सेवा नियमों का अध्याय X I आचरण, अनुशासन और अपील से संबंधित है। अध्याय X I में नियम 50 से नियम 70 तक शामिल हैं।

17.1. अध्याय X I की धारा 2 अनुशासन और अपील से संबंधित है। नियम 67, जो धारा 2 का एक भाग है, विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े दंडों का प्रावधान करता है जो किसी अधिकारी पर कदाचार के लिए या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए लगाए जा सकते हैं।

17.2. नियम 68 का शीर्षक, जो अध्याय X I का भी भाग है, अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय और उसकी प्रक्रिया है। नियम 68(1) के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं या उच्च प्राधिकारी के निर्देश पर किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उससे उच्चतर कोई भी प्राधिकारी ऐसे अधिकारी पर नियम 67 में उल्लिखित कोई भी दंड लगा सकता है।

17.3. नियम 68(2) के अनुसार, नियम 68(2) के अनुसार जाँच के बाद ही कोई बड़ा दंड लगाने का आदेश दिया जाएगा। नियम 68 के उप-नियम (2) के खंड (iii) में कहा गया है कि जहाँ जाँच प्रस्तावित है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों और आरोपों के अनुच्छेदों के आधार पर निश्चित और अलग-अलग आरोप तय करेगा। साथ ही, जिन आरोपों पर वे आधारित हैं, उनके विवरण, जिन दस्तावेजों और गवाहों पर भरोसा किया गया है उनकी सूची, जहाँ तक संभव हो, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उनकी प्रतियाँ और गवाहों के बयान लिखित रूप में अधिकारी को भेजे जाएँगे। अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव में एक लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

17.4. इसके बाद, जाँच करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

17.5. नियम 69 में अपील और समीक्षा का प्रावधान है। उप-नियम (1) के अनुसार, कोई अधिकारी नियम 67 में निर्दिष्ट किसी भी दंड या निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसी अपील का प्रक्रियात्मक भाग उप-नियम (2) में प्रदान किया गया है।

17.6. नियम 69(3) समीक्षा से संबंधित है। इसका खंड (i), जो एक गैर-बाधक खंड से शुरू होता है, कहता है कि धारा 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, समीक्षा प्राधिकारी अंतिम आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर मामले का

रिकॉर्ड मांग सकता है और मामले की समीक्षा करने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

18. भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरमन,4 मामले में, यह न्यायालय पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के लिए पात्र कर्मचारी पर सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया के प्रभाव की जाँच कर रहा था। उस मामले में, कर्मचारी पदोन्नति के पात्र थे, लेकिन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण, उन्हें सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसी संदर्भ में, इस न्यायालय ने अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया कि वह कौन सी तिथि है जिससे यह कहा जा सकता है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। उचित विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने यह माना कि केवल तभी जब कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी किया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय (अनुशासनात्मक) कार्यवाही शुरू की गई है।

19. इस मुद्दे पर इस न्यायालय ने राजिंदर लाल कपूर (सुप्रा) मामले में फिर से विचार किया। उस मामले में प्रतिवादी यूको बैंक का एक अधिकारी था। अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट अधिकार क्षेत्र में सेवा से हटाने की सजा को सेवानिवृत्ति की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया। यूको बैंक इस न्यायालय के समक्ष दी गई अनुमति के बाद अपील में आया। जाँच करने पर, इस न्यायालय ने यह राय देते हुए कि सेवा से हटाने की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदलने में उच्च न्यायालय का निर्णय शायद सही नहीं रहा होगा, हालाँकि, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विभागीय कार्यवाही शुरू करना ही पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आरोप पत्र 13.11.1998 को जारी किया गया था जबकि प्रतिवादी 01.11.1996 को या उससे पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था। प्रासंगिक प्रावधान अर्थात यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(3)(iii) का हवाला देते हुए, जिसने सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित अधिकारी की सेवा में बने रहने का एक कानूनी मिथ्याकरण बनाया था यदि सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, सेवा की ऐसी निरंतरता केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से थी, इस न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रावधान का आह्वान तभी किया जा सकता है जब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतिवादियों के सेवा में रहने से पहले स्पष्ट रूप से शुरू की गई हो। केवल तभी जब अधिकारी के खिलाफ एक वैध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है सेवा में रहते हुए, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बावजूद, अनुशासनात्मक कार्यवाही को कानूनी मिथ्याकरण के आधार पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जैसे कि वह सेवा में था। इस प्रकार, जब कानूनी मिथ्याकरण के कारण विभागीय कार्यवाही जारी रहती है, तो दोषी अधिकारी को सेवा में माना जाएगा, भले ही वह अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच गया हो। के.वी. जानकीरामन (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने माना कि विभागीय कार्यवाही केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से शुरू नहीं होती। यह तभी शुरू होती है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है। उस मामले के तथ्यों के अनुसार, चूँकि

अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति की आयु के बाद शुरू की गई थी, इसलिए आरोप पत्र, जाँच रिपोर्ट और दंड आदेश को इस न्यायालय ने अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर माना और उन्हें रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को देय सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

20. इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड बनाम सरोज कुमार मिश्रा,5 मामले में इस न्यायालय ने पुनः कानूनी स्थिति दोहराई कि विभागीय कार्यवाही सामान्यतः तभी आरंभ मानी जाती है जब आरोप पत्र जारी कर दिया जाता है।

21. केनरा बैंक बनाम डी.आर.पी. सुंदरम6 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(3)(iii) के अर्थ और प्रभाव की जाँच की, जो यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(3)(iii) के समरूप है। राजिंदर लाल कपूर (सुप्रा) मामले में दिए गए विचार के आलोक में, पीठ ने यह माना कि विनियम 20(3)(iii) एक स्वतंत्र प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार, किसी बैंक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले आरोपपत्र के माध्यम से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही, विनियम 20(3)(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। उस मामले के तथ्यों के आधार पर, पीठ ने पाया कि प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद आरोपपत्र प्रस्तुत करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने केनरा बैंक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

22. एम.बी. मोटवानी (सुप्रा) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस स्थिति को दोहराया कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने पर विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं होती। यह तभी शुरू होती है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है क्योंकि यही वह तिथि होती है जब सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करता है। उस मामले में, यह देखा गया कि मृतक कर्मचारी 31.07.1991 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था, जबकि उसे आरोप पत्र 07.12.1991 को जारी किया गया था, जिसका अर्थ है कि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी। यही स्थिति होने के कारण, इस न्यायालय ने यूको बैंक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

23. प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और केस लॉ का सर्वेक्षण करने के बाद, आइए अब हम मामले के आवश्यक निर्विवाद तथ्यों पर वापस आते हैं। प्रतिवादी को 08.06.1973 को एसबीआई में क्लर्क टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। समय के साथ, वह रैंक में आगे बढ़ा और प्रबंधकीय पद तक पहुँच गया। 30 साल की सेवा पूरी करने पर, वह 26.12.2003 को सेवानिवृत्त होने वाला था। सेवा नियमों के नियम 19(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी को 27.12.2003 से 01.10.2010 तक दिनांक 05.08.2023 के आदेश द्वारा सेवा विस्तार दिया गया था। 18.08.2009 को याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनके द्वारा कथित रूप से की गई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। 21.08.2009 को प्रतिवादी को निलंबित कर दिया

गया था। यद्यपि प्रतिवादी ने 18.08.2009 के नोटिस का उत्तर 27.10.2009 को प्रस्तुत कर दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया और सेवा नियमों के नियम 68(1) के अंतर्गत 18.03.2011 को कारण बताओ नोटिस जारी करके प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय लिया। कारण बताओ नोटिस के साथ, आरोपों की मदें और आरोपों का विवरण, जिनके आधार पर आरोप निर्धारित किए गए थे, प्रतिवादी को भेजे गए थे। 01.10.2010 के बाद प्रतिवादी द्वारा सेवा जारी रखने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी की सेवा 27.12.2003 से 01.10.2010 तक बढ़ा दी गई थी।

24. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को चार्ज मेमो दिनांक 18.03.2011 को जारी किया गया, जबकि उसका सेवा विस्तार दिनांक 01.10.2010 को समाप्त हो गया था। यह एक निर्विवाद क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य है।

25. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी को निलंबन की तिथि अर्थात 21.08.2009 से लेकर 07.03.2012 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी तक 01.10.2010 के बाद निर्वाह भत्ता दिया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने स्वयं जाँच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष यह तर्क दिया था कि वह 30.10.2012 को सेवानिवृत्त होने वाला था। उसने न तो उक्त प्राधिकारियों के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि वह 01.10.2010 से एसबीआई की सेवा में नहीं रहा और इसलिए उसके बाद 18.03.2011 को शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य थी। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा दंड के आदेश को पूरी तरह से अलग आधार पर चुनौती स्वीकार करना उचित नहीं था।

26. हमें खेद है कि हम अपीलकर्ताओं की ओर से इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वयं अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वहाँ इस दिखावटी तर्क पर उसे बरकरार रखना कि अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर उसे चुनौती नहीं दी गई, एक स्पष्ट रूप से अवैध कार्यवाही को स्वीकृति देने के समान होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया:

> 6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता निम्नलिखित तथ्यों और कारणों के आधार पर हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम है:
>
> (I) निर्विवाद रूप से, वर्ष 2003 में 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर, याचिकाकर्ता की सेवाओं को भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों का निर्धारण 1979) के अनुसार 01.10.2010 तक बढ़ा दिया गया था। कथित आरोप 19.01.2006 से 29.10.2008 और 23.01.2009 से 22.08.2009 की अवधि के दौरान एसबीआई, टांगरबांसाली शाखा, रांची के शाखा प्रबंधक के रूप में याचिकाकर्ता की विस्तार अवधि से संबंधित हैं। कथित आरोपों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोपों के लेख सहित दिनांक 18.03.2011 के पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यवाही

शुरू करने का निर्णय लिया। अनुशासनात्मक कार्यवाही में एसबीआई अधिकारी सेवा नियम के नियम 67(जे) के तहत बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है। बेशक, 01.10.2010 के बाद सेवा विस्तार नहीं हुआ है और न ही प्रासंगिक नियमों का कोई प्रावधान इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही का क्या प्रभाव होगा। जब प्रतिवादी बैंक द्वारा 01.10.2010 के बाद सेवा विस्तार के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, तो उक्त तिथि को सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि माना जाएगा। वर्तमान मामले में, आरोप पत्र याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद 18.03.2011 को जारी किया गया था, जब बैंकिंग अधिकारियों द्वारा सेवा विस्तार के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं था। इसलिए, इस आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित 07.03.2012 का बर्खास्तगी का आदेश, जिसकी अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है, कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं होने के कारण रद्द किए जाने योग्य है। इस न्यायालय का दृष्टिकोण भारत संघ बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पुष्ट होता है। न्यायमूर्ति अहमद ने 1979 (2) एससीसी 286 में रिपोर्ट दी थी, जो अभी भी मान्य है। 23.02.1984 को प्रतिस्थापित भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी (सेवा की शर्तों और नियमों का निर्धारण) आदेश, 1979 और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 के अनुसार सेवा विस्तार न दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई संपूर्ण विभागीय कार्यवाही के अनुसार, स्वामी और सेवक का संबंध 01.10.2010 के बाद समाप्त हो गया है। इसलिए, प्रतिवादी बैंक को 01.10.2010 के बाद याचिकाकर्ता की सेवाओं का विस्तार किए बिना विभागीय कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान मामले में उपरोक्त कानूनी प्रावधान के अलावा, जैसा कि पक्षों की दलीलों से स्पष्ट है, बैंक को याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी चूक या कमीशन के कारण कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त तथ्य की पृष्ठभूमि में विभागीय कार्यवाही शुरू करना और सेवा से बर्खास्तगी की कठोर सजा देना अनुचित, अवैध और कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।

27. जब अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ से लेटर्स पेटेंट अपील का अनुरोध किया, तो खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया और निम्नलिखित निर्णय दिया:

> 11. अपीलकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 के नियम 19(1) के अनुसार, प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होना था, पुनः नियमों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त नियमों के नियम 19(1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-
>
> > "19.(1) कोई अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या तीस वर्ष की सेवा या तीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर,

यदि वह पेंशन निधि का सदस्य है, जो भी पहले हो, बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।"

नियम के एक छोटे से अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि भारतीय स्टेट बैंक का कोई अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा, भले ही उसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

12. रिट याचिकाकर्ता के मामले में, उन्हें वर्ष 2003 में ही 30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि पर सेवानिवृत्त घोषित कर दिया गया था, और उन्हें 27.12.2003 से 1.10.2010 तक पुनः सेवा विस्तार दिया गया था। इस प्रकार, किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को 30 वर्ष की सेवा अवधि से अधिक सेवा विस्तार दिए जाने पर भी, उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहना था। ऐसा कोई अन्य नियम अभिलेख में या इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है जो यह दर्शाता हो कि 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी, बैंक का अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियम, 1992 का नियम 19(1) बिना किसी अस्पष्टता के पूर्णतः स्पष्ट है, जिसमें अपीलकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

13. इस प्रकार, वर्तमान मामले में एकमात्र निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता को आगे कोई सेवा विस्तार न दिए जाने की स्थिति में 1.10.2010 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जो कि निश्चित रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया था। इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और दंड आदेश याचिकाकर्ता की 1.10.2010 को सेवानिवृत्ति के बाद पारित किया गया था, क्योंकि विभागीय कार्यवाही 18.03.2011 को शुरू की गई थी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश 7.03.2012 को पारित किया गया था, अर्थात सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद, जो कि किसी अनुशासनात्मक नियम के अभाव में कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं था। निश्चित रूप से, ऐसे किसी नियम को रिट न्यायालय या इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया।

14. इस प्रकार, हमें रिट न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3446/2014 में पारित दिनांक 6.9.2016 के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखती, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू और जारी नहीं रखी जा सकती थी,

और रिट आवेदन को स्वीकार करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित सेवा से बर्खास्तगी के आदेश, साथ ही अपीलीय और समीक्षा

प्राधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया गया, जो एलपीए क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप के योग्य हैं।

28. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रतिवादी को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 26.12.2003 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उसकी सेवा 05.08.2003 को 27.12.2003 से 01.10.2010 तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार, प्रतिवादी की विस्तारित सेवा 01.10.2010 को समाप्त हो गई। अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच स्वामी और सेवक का संबंध 01.10.2010 से ही समाप्त हो गया। उसके बाद निर्वाह भत्ता प्राप्त करने या प्रतिवादी द्वारा यह घोषणा करने का तथ्य कि वह बाद की तारीख अर्थात 30.10.2012 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा, कानूनी और तथ्यात्मक परिदृश्य में कोई अंतर नहीं लाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 01.10.2010 के बाद एसबीआई की सेवा में नहीं था।

29. 60 वर्ष की सेवा (पहले 58 वर्ष) प्राप्त करना एसबीआई में सेवारत किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति का एकमात्र मानदंड नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है और ऊपर चर्चा की जा चुकी है, यह तीन आकस्मिकताओं में से एक है। यदि तीनों आकस्मिकताओं में से कोई भी पूरी हो जाती है, तो अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएगा। प्रतिवादी वास्तव में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 26.12.2003 को एसबीआई में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन उसकी सेवा उससे पहले 05.08.2003 को 27.12.2003 से 01.10.2010 तक बढ़ा दी गई थी। 01.10.2010 के बाद सेवा का कोई और विस्तार नहीं किया गया।

30. प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 18.08.2009 को आरंभ नहीं की गई थी, जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, बल्कि 18.03.2011 को आरंभ की गई, जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रतिवादी को आरोप ज्ञापन जारी किया।

31. जैसा कि इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर कहा है, एक विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही, अर्थात् अपराधी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व शुरू की गई कार्यवाही, सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखी जा सकती है अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के प्रयोजनार्थ अपराधी अधिकारी की सेवा जारी रखने का कानूनी झूठ रचकर (इस मामले में सेवा नियमों के नियम 19(3) के अनुसार)। किन्तु अपराधी कर्मचारी या अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या सेवा की विस्तारित अवधि के पश्चात सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

32. अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए सी.बी. ढल (सुप्रा) के मामले में भी, इस न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 के नियम 20बी के तात्पर्य पर विचार करते हुए यह माना कि नियम 20बी के तहत, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की जाती है, तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के प्रयोजनार्थ,

कर्मचारी को सेवा में बने रहने वाला माना जाता है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

33. ऐसी स्थिति में, हमें अपील में कोई दम नज़र नहीं आता। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी के सभी सेवा शुल्क शीघ्र और किसी भी स्थिति में आज से छह सप्ताह के भीतर जारी करें।
मामले का परिणाम: अपील खारिज।

हेडनोट्स तैयार किए हैं: निधि जैन

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।